

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. एफ. 23-06-2019-पच्चीस-3.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम "MPTAAS" को "संरक्षित प्रणाली" के रूप में अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राधिकृत किए गए निम्नलिखित व्यक्ति ही उन्हें सौंपी गई भूमिका तथा विशेषाधिकार के आधार पर, संरक्षित प्रणाली तथा उसकी कार्यात्मकता तक पहुंचने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:—

1. आयुक्त, जनजातीय कार्य
2. जिला कलेक्टर, म. प्र.
3. अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य
4. अपर संचालक, जनजातीय कार्य
5. उपायुक्त, जनजातीय कार्य
6. सहायक संचालक, जनजातीय कार्य
7. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य
8. संयुक्त संचालक, वित्त, जनजातीय कार्य
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जनजातीय कार्य
10. आहरण संवितरण अधिकारी, जनजातीय कार्य
11. प्राचार्य/उपप्राचार्य
12. छात्रावास अधीक्षक
13. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिकृत कियोस्क
14. पंजीकृत उपयोगकर्ता

15. जनजातीय कार्य विभाग, आईटी शाखा
16. रेसीडेंट कमिश्नर, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली
17. आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति/संस्था

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को "MPTAAS" से संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. एफ. 23-06-2019-पच्चीस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 23-06-2019-पच्चीस-3 दिनांक 8 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8th March 2019

No. F. 23-06-2019-XXV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 70 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), the State Government, hereby, notifies the Madhya Pradesh Tribal Affairs Automation System—"MPTAAS" of the Tribal Affairs Department, Government of Madhya Pradesh, as a "Protected System".

Only following persons, authorized by the Tribal Affairs Department, Government of Madhya Pradesh, shall be allowed to access the protected system and its functionality based on their assigned roles and privileges, namely:—

1. Commissioner, Tribal Affairs
2. District Collector, M. P.
3. Additional Commissioner, Tribal Affairs
4. Additional Director, Tribal Affairs
5. Deputy Commissioner, Tribal Affairs
6. Assistant Director, Tribal Affairs
7. Assistant Commissioner/District Organizer, Tribal Affairs
8. Joint Director, Finance, Tribal Affairs
9. Senior Account Officer, Tribal Affairs
10. DDO, Tribal Affairs
11. Principal/Vice Principal
12. Hostel Superintendent
13. Service Providers
14. Registered Users
15. IT Cell, Department of Tribal Affairs, HO
- 16 Resident Commissioner, MP Bhavan, New Delhi
17. Any other person/Institute authorized by Commissioner Tribal Affairs MP

Schemes run by Tribal Affairs Department are approved to be executed through MPTAAS.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SUSHMA SHARMA, Dy. Secy.